

न्यायालय सहायक कलक्टर ब्यावर जिला-अजमेर  
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 27/2017 तथा 28/2017

राजस्व लोक अदालत अभियान, न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प - कोटड़ा  
श्रीमती चुन्नी व अन्य बनाम श्री रामसिंह व अन्य  
रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी जो मूल वाद संख्या  
130/2014 अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राज. काश्त.अधि. एवं 136 भू राजस्व अधि.  
आदेश दिनांक 25.05.2018




प्रकरण आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प कोर्ट कोटड़ा में पेश हुआ। प्रार्थीगण के अधिवक्ता व प्रार्थी रामसिंह मूलसिंह मुन्नासिंह लालसिंह स्वयं उपस्थित। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कथन किए हैं कि उपरोक्त मुकदमा वास्ते आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 01.03.2017 को नियत था जिसकी जानकारी वादीगण को नहीं हो सकी तथा वकील साहब ने भी किसी प्रकार की सूचना नहीं दी। घर में उनसे सम्पर्क नहीं कर सकता, इस कारण उक्त वाद हमारी अनुपस्थिति दर्ज हो जाने से उक्त वाद अदम पैरवी व अदम हाजरी में खारिज हो गया। वादी को किसी कार्य से न्यायालय में आया तब दिनांक 17.05.2017 को प्रमाणित नकल निकलवायी तब जाकर पता चला कि उक्त वाद अदम हाजरी में खारिज हो गया। वादी ने जानबूझकर लापरवाही नहीं बरती तथा प्रकरण की जानकारी होने से ऐसा हुआ जो काबिले माफी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है अतएव श्रीमान् विलम्ब माने तो साथ में अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत है। एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायहित में रेस्टोरेशन किये जाने के आदेश फरमावें।

उपस्थित प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता को मजमें आम में सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि मूल वाद संख्या 130/2014 वादीगण व उनके अधिवक्ता की लगातार अनुपस्थिति होने के कारण दिनांक 01.03.2017 अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में 98 वादीगण पक्षकार के रूप में अंकित है जिसमें से किसी एक पक्षकार को भी तारीख पेशी का ध्यान नहीं रहा हो, ऐसा सामान्यतः संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त भी अधिवक्ता व वादीगण लगातार दो तारीख पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं। रेस्टोरेशन का जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह भी 150 दिनों के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है और यह कत्तई मानने योग्य नहीं है कि वाद खारिज होने के 150 दिनों तक वादीगण को वाद खारिज होने की जानकारी ही नहीं रही हो। मियाद अधिनियम की धारा 5 में भी इस प्रार्थना पत्र को विलम्ब से प्रस्तुत करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

आदेश आज दिनांक 25.05.2018 को मेरे द्वारा कोर्ट कैंप कोटड़ा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
25/5/18  
(दीपांशु सागवान)  
सहायक कलक्टर  
आर०ए०एस० (प्र.)  
(भू) ब्यावर  
सहायक कलक्टर, ब्यावर